पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 1828/अका./2003 रायपुर, दिनांक 14 अक्टूबर, 2003

कार्यपरिषद की आपातिक बैठक कुलपति कक्ष में दिनांक 14.10.2003 को 05.00 बजे आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :-

1. प्रो. बी.पी. चन्द्रा,	-	कुलपति/अध्यक्ष
2. प्रो. एम.एल. नायक	-	सदस्य
3. प्रो. ओ.पी. वर्मा	-	सदस्य
4. प्रो. शैलेन्द्र सराफ	-	सदस्य
5. श्री भागवत प्रसाद चन्द्राकर	-	सदस्य
6. डॉ. युगल भारती	-	सदस्य
7. डॉ. अमीर चंद जैन	-	सदस्य
8. डॉ. (श्रीमती) गीता तिवारी	-	सदस्य
9. प्रो. जी.एल. मूंदड़ा	-	सदस्य
10. श्री ए. मिंज	-	कुलसचिव/सचिव

कार्यपरिषद के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा नवनियुक्त सदस्य प्रो. जी.एल. मूंदड़ा का स्वागत किया गया ।

विषय क्र. 1: एल.एल.एम. पूर्वार्ध में प्रवेश हेतु न्यूनतम प्राप्तांक 50% करने बाबत् ।

निर्णय : एल.एल.एम. में प्रवेश हेतु न्यूनतम प्राप्तांक 60% के बजाय 55% सामान्य वर्ग के लिये तथा 50% प्राप्तांक अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग के लिये मान्य किया क्योंकि समन्वय समिति पूर्व में ही आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों हेतु 5% प्राप्तांक की छूट प्रदान कर चुकी है ।

विषय क्र 2: विश्वविद्यालय से संबद्ध पॉलिटेक्निक महाविद्यालय हेतु राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल के अध्यादेश को अनुमोदन पर विचार करना ।

निर्णय : विश्वविद्यालय से संबद्ध पॉलिटेक्निक महाविद्यालय हेतु राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल के अध्यादेश को अनुमोदन के पूर्व सर्वप्रथम अध्ययन बोर्ड तथा विद्या परिषद् की स्थायी समिति से अनुमोदन होना चाहिए ।

विषय क्र.3: कार्यपरिषद की दिनांक 20.09.2003 को आहूत आपात बैठक में विभिन्न प्रमाण पत्रों की संशोधित दरों में छात्र प्रतिनिधियों से चर्चा उपरांत संशोधित दरों को अनुमोदन प्रदान करना ।

निर्णय : कार्यपरिषद द्वारा दिनांक 20.09.2003 को पारित विभिन्न प्रमाण-पत्रों की संशोधित दरों में छात्र प्रतिनिधियों से चर्चा के उपरांत निर्धारित दरों को अनुमोदित किया गया ।

विषय क्र. 4: कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान करने बाबत् पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारी संगठनों के संयुक्त आवेदन–पत्र पर विचार करना।

निर्णय : कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान करने के विषय में कर्मचारी संगठनों के आवेदन-पत्र पर तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि वे न्यायालय में चलाये जा रहे प्रकरण को वापिस नहीं ले लेते या निर्णय नहीं हो जाता।

विषय क्र.5 : दिनांक 10.10.2003 को आहूत विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक में विभिन्न महाविद्यालयों को अस्थाई संबंद्धता प्रदान किये जाने के संस्तुति को अनुमोदन प्रदान करना।

निर्णय : 10.10.2003 को विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक में महाविद्यालयों को अस्थाई संबद्धता प्रदान किये जाने के संस्तुति को अनुमोदित किया गया।

विषय क्र. 6: श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, भिलाई नगर को स्थाई संबंद्धता प्रदान करने के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, भिलाई नगर की स्थाई संबद्धता के संबंध में कार्यपरिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि महाविद्यालय के बारे में स्थायी संबद्धता हेतु विस्तृत जानकारी एकत्रित कर आगामी बैठक में रखा जाय।

विषय क्र.7 : ओम श्री साईनाथ महाविद्यालय, परसतराई (धरसींवा) में प्राचार्य की नियुक्ति का अनुमोदन प्रदान करना।

निर्णय : श्री नरेन्द्र कुमार पटनायक को ओम श्री साईनाथ महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर नियुक्ति के लिए अनुमोदित किया।

विषय क्र.8 : बैचलर ऑफ़ यूनानी मेडिसीन एंड सर्जरी के अध्यादेश को अनुमोदन प्रदान करना

निर्णय : बैचलर ऑफ़ यूनानी मेडिसीन एंड सर्जरी के अध्यादेश को अनुमोदित किया गया तथा इसके पश्चात् स्टेंडिग कमेटी एवं कोआर्डिनेशन कमेटी में भेजने की कार्यवाही की जाय

<u>अध्यक्ष की अनुमति से</u>

1. एम.एस-सी. के अध्यादेश क्र. 22 के साथ आई.टी. एवं एम.एस-सी. कम्प्यूटर साइंस पाठ्यक्रम को जोड़ने का निर्णय लिया गया।

2. विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की कौन-कौन सी मांगों की उपेक्षा की गई इनकी जानकारी लेकर निराकरण के लिए कुलपति को अधिकृत किया गया।

अंत में कुलसचिव ने कार्यपरिषद के अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित कर मीटिंग समाप्ति की घोषणा की।

कुलपति

कुलसचिव

पृ. क्र. 1829/अका./2003 रायपुर, दिनांक 19 सितंबर, 2003

प्रतिलिपि :

01. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.),
02. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, डी.के.एस. भवन, रायपुर,
03. सचिव, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, डी.के.एस. भवन, रायपुर,
04. डॉ. एस. सराफ, फ़ार्मेसी संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
05. डॉ. अमीरचंद जैन, शासकीय कमलादेवी महिला महाविद्यालय, राजनांदगाँव,
06. डॉ. एम.एल. नायक, आचार्य, बायो-साइंस अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
07. डॉ. ओ.पी. वर्मा, आचार्य, क्षेत्रीय अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
08. प्रो. आर.सी. मेहरोत्रा, रायपुर,
09. श्री भागवत प्रसाद चन्द्राकर, अर्जुन्दा, जिला दुर्ग,
10. पं. रामसुन्दर दास महंत, दूधाधारी वैष्णव मठ, रायपुर,
11. डॉ. (श्रीमती) गीता तिवारी, प्राचार्य, शास. दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर,
12. श्री रामलाल भारद्वाज, विधायक (पलारी क्षेत्र), बी-4, अयोध्या अपार्टमेंट, रायपुर,
13. श्री ललित सुरजन, प्रधान सम्पादक, देशबन्धु, रायपुर,
14. डॉ. डी.के. कटारिया, शास. आयुर्वेदिक महाविद्यालय, रायपुर,
15. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
16. वित्त अधिकारी/आवासीय अंकेक्षण, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(हस्ताक्षर)
कुलसचिव